

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**  
**अधिसूचना**

सं०सं०-01/स्था० (का० पदा०)-01/2017 4781 /न०वि०एवंआ०वि०। श्री राकेश कुमार सोहित, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बिहियां को बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जगदीशपुर का प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।


ह०/-  
(राम सेवक प्रसाद)  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (का० पदा०)-01/2017 4781 /न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक-09/09/17  
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर/श्री राकेश कुमार सोहित, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बिहियां/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-श्री विजय नारायण पाठक, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जगदीशपुर को निदेश दिया जाता है कि वे नगर पंचायत जगदीशपुर का प्रभार श्री सोहित को सौंपते हुए अपने पैतृक विभाग में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

  
सरकार के अवर सचिव।